



Neutral Citation No. - 2026:AHC:530

सुरक्षित तिथि :- 19.12.2025

वितरण तिथि :- 05.01.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41808 वर्ष 2025

नंद किशोर उर्फ नंदू

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: भरत सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: विशाल शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री भरत सिंह और श्री शशिकांत शुक्ला, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विशाल शुक्ला और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं।
2. यह आवेदक की तीसरी जमानत याचिका है।
3. आवेदक की पहली जमानत याचिका इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 08.05.2024 को अभियोजन की कमी/चूक के कारण खारिज कर दी गई थी।
4. आवेदक की दूसरी जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा 12.05.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दस अभियोजन गवाहों की जांच पहले ही अवर न्यायालय के समक्ष की जा चुकी है, इसलिए आवेदक द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। वह 08.06.2021 से यानी चार साल से अधिक समय से जेल में है। वह विचाराधीन कैदी है और उसे अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्हें इस मामले में एक निश्चित राशि की वसूली के आधार पर फंसाया गया है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मृतक की हत्या के अपराध में उनके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। उन्हें इस मामले में उनसे बरामद वस्तुओं के आधार पर फंसाया गया है।
7. शिकायतकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि सह-आरोपी रणवीर उर्फ नान्हे की जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा 11.10.2022

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को खारिज कर दी गई थी। उन्होंने आगे कहा है कि आवेदक से 3 लाख रुपये की बरामदगी और मृतक की अन्य संपत्ति आरोपियों के संयुक्त कब्जे से बरामद होने के मद्देनजर, आवेदक जमानत पाने का पात्र नहीं है।

8. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदक साढ़े चार साल से अधिक समय से जेल में है। अब सभी महत्वपूर्ण गवाहों की जांच हो चुकी है। इसलिए, अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं है।

9. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है।

10. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, उपर्युक्त उल्लिखित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों में बल पाते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार को ध्यान में रखते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 लॉ सूट (एससी) 677** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए और विचाराधीन कैदियों द्वारा जेलों में उनकी क्षमता से 5-6 गुना अधिक भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

11. आवेदक नंद किशोर उर्फ नंदू, जो मुकदमा अपराध संख्या 177/2021, धारा 364, 302, 201, 404, 34 आईपीसी, थाना पाकबाड़ा, जिला मुरादाबाद में आरोपित है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे एक निजी मुचलका और दो जमानती पेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने होंगे, जिनमें से प्रत्येक की राशि इतनी ही हो। रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।

(ii) आवेदक यह वचन देगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, अवर न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, या तो स्वयं या न्यायालय के निर्देशानुसार। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iv) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

(v) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करना। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर्याप्त कारण के बिना हैं, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

12. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

13. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा बांड स्वीकार किए जाने से पहले की जाए।

14. अवर न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदक के विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही धारा 309 सीआर.सी. (नई धारा 346 बी.एन.एस.एस.) के अनुसार यथाशीघ्र समाप्त करे।

5 जनवरी 2026

रोहित

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।